

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2019—आश्विन 11, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 6-बी-1-2019-1-पांच-(69).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग अधीनस्थ कराधान सेवा (तृतीय श्रेणी-कार्यपालिक) भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-पांच में, स्कीम के अधीन, अनुक्रमांक 4 (क), 4 (ख) तथा 5 (3) में, शब्द "लिखित परीक्षा" के स्थान पर, शब्द "लिखित परीक्षा या ऑनलाईन परीक्षा" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरषिका सिंह, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2019

क्र. एफ 6-बी-1-2019-1-पांच-(69).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-बी-1-2019-1-पांच-(69), दिनांक 3 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हरषिका सिंह, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd October 2019

No. F 6-B-1-2019-1-V (69).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Commercial Tax Department Subordinate Taxation Service (Class III-Executive) Recruitment Rules, 2007, namely:—

#### AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-V, under the Scheme, in serial number 4 (a), 4(b) and 5 (3), for the words "written examination", the words "written examination or Online examination" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
HARSHIKA SINGH, Dy. Secy.

815